न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 258 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2010 / 00115

वादीगण	प्रतिवादीगण
माताजी सती दाक्षायणी मंदिर सिद्धेश्वर जरिये अध्यक्ष तहसील–सांचौर, जिला–जालोर	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर, जिला–जालोर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 18.10.2010

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 के (2, 3) 3 लगायत 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम दवे उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1, 2/1 (अ, ब, स, द) 7 (1, 2), 8, 9 (1, 2) 10 लगायत 13 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 27.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है जागीर के समय इस मंदिर की सेवा पूजा और व्यवस्था को सुलभ बनाने के लिये ग्राम सिद्धेश्वर, सांचौर तथा अन्य गांवो में तात्कालीन ठाकुरों, जागीरदारों तथा रियासत की ओर से डोली की जमीनें प्रदान की गई थी। माताजी जिसका गत सेटलमेंट (जो संवत् 2012 अर्थात् सन् 1955 में संपूर्ण हुआ था) के समय खसरा नंबर 25 रकबा 105 बीघा 17 बिस्वा कायम हुआ। इस बन्दोबस्त में यह खेत डोली बनाम मंदिर श्री जोगमाया आशापुरा स्थान सिद्धेश्वर डोलीदार के रूप में तथा महादेवा वेलीया (अप्रार्थी संख्या 02 से 2 के पूर्वज) पिसरान अखा कौम कलबी साकिन सिद्धेश्वर काश्तकार के नाम से इन्द्राज किया गया। सही प्रतिलिपि खतौनी बंदोबस्त खाता संख्या 386 संलग्न है। ग्राम सांचौर में प्रथम सेटलमेंट विक्रय संवत् 1952 अर्थात् ईस्वी सन् 1895 में हुआ था जिसमें वादग्रस्त खेत का खसरा नंबर 18, 19, 20 कायम होकर खाता संख्या 443 व 444 डोली बनाम मंदिर माताजी वांके सिद्धेश्वर [illegible] नारायणपुरी गेर हाजिरान ने किशनपुरी वासी गांव कारौला चेला [illegible] हकदार सेवा ने बीजपुरी बेटा राजपुरी जात रा गौसाई [illegible] बहक सेवा मजरूगारद [illegible] इसके पश्चात संवत् 1982 अर्थात सन् 1925 में समरी [illegible]मेंट हुआ जिसमें वादग्रस्त [illegible] जिसके पूर्व में खसरा नंबर 18, 19, 20 थे उनका नया खसरा नंबर 17 रकबा 105 बीघा 17 बिस्वा दर्ज किया गया तथा संवत् 2012 में जो सेटलमेंट हुआ उसमें उपर दर्शाय अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:38:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

वादग्रस्त खेत का खसरा नंबर 25 रकबा 105 बीघा 17 बिस्वा कायम हुआ है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि इसे स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण 2 से 12 के विरूद्व आदेश पारित किया जावें कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90 मौजा सांचौर जिला जालोर में स्थित इस भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर भूमि को न्यायालय के कब्जें में लिया जावे। न्यायालय रिसीवर नियुक्त करना उचित नहीं समझे तो प्रतिवर्ष की नकद प्रतिभूमि तय की जाकर न्यायालय में जमा करवाई जावे। भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 12 को रोका जावे। भूमि की स्थिति तथा स्वरूप में बदलाव करने से भी अप्रार्थीगण को रोक जावे। इसके अलावा न्यायालय न्यायहित में प्रार्थी के पक्ष में अन्य कोई अनुतोष जो तथ्यों व परिस्थितियों के अनुसार उचित हो प्रदान करे। प्रार्थना–पत्र का खर्चा हर्जा दिलवाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 2/2, 2/3, 3, 4, 5, 6, ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि इसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में तथा प्रार्थी के विरूद्व आदेश पारित किया जावें कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90 मौजा सांचौर जिला जालोर में स्थित इस भूमि पर हम अप्रार्थीगण का पिढ़ियों से कब्जा काश्त, रहवासीय ढ़ाणी जिसमें परिवार सहित रहते है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आधारहीन होने से खारिज फरमावें तथा हमें अप्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करावें कि हमारे कब्जाकाश्त, रहवासीय ढ़ाणी में प्रार्थी कोई दखलंदाजी न तो स्वयं करें तथा न अन्य किसी करावें इस आशय का आदेश फरमावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सिद्धेश्वर के खेत खसरा नंबर 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90 अतः उभयपक्ष को मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:38:33 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर फास्ट
ट्रेक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, फास्ट–
ट्रेक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner